जनजातीय कार्य विभाग
मध्य प्रदेश शासन

<u>उपयोगकर्ता पुस्तिका</u>

‘हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण’

विभागीय योजनाओं में लाभ लेने हेतु नए सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 'हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण' के सम्बन्ध में निर्देश:

- विभागीय योजनाओं में लाभ लेने हेतु नए सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 'हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण'

- विभाग की योजनाओं में, निर्माणाधीन नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम समस्त हितग्राहियों **(मध्यप्रदेश के समस्त अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) नागरिक एवं अन्य पात्र लाभार्थी)** को स्वयं का प्रोफाइल पंजीकरण करना रहेगा।

- यह पंजीयन हितग्राही द्वारा स्वयं, इन्टरनेट कीओस्क यथा एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र (CSC) अथवा विभागीय अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकेगा।

- यद्यपि यह एक सतत प्रक्रिया रहेगी तथापि वर्तमान में योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों का एक बार (One-time) पंजीयन एक निश्चित समय सीमा में करवाना

ऑनलाइन '<u>हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण</u>' करने हेतु आवश्यक निर्देश:

- आवेदक को सर्वप्रथम अपना 'आधार' नंबर प्रदान कर ओटीपी अथवा बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन करना होगा |
- यदि आपके 'आधार' नंबर से आपका मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने निकटतम एमपी ऑनलाइन (MPOnline) / लोक सेवा केंद्र (LSK) / नागरिक सुविधा केंद्र (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से अपना प्रोफाइल पंजीकरण करा सकते है |
- आवेदक के आधार में सही नाम (हिंदी एवं अंग्रेजी) एवं पूर्ण जन्म दिनांक (दिन/महीना/साल प्रारूप में जैसे 19.04.1983) होनी चाहिए |
- आवेदक के पास ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल / लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए |
- प्रोफाइल पंजीकरण के समय आवेदक को स्वयं की समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करना है |

- सर्वप्रथम विभाग की वेबसाइट (www.tribal.mp.gov.in) पर जाकर उपर दिखाई गयी 'ऑनलाइन सेवाएँ' पर क्लिक करें ।

- **पायलट लॉन्च में हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण http://mpsdc.gov.in/tribal_reg लिंक / URL के माध्यम से कर सकते है ।**

लॉगिन पेज :

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण हेतु प्रमुख आवश्यकताएं:

- आधार नंबर
- डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र
- समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी

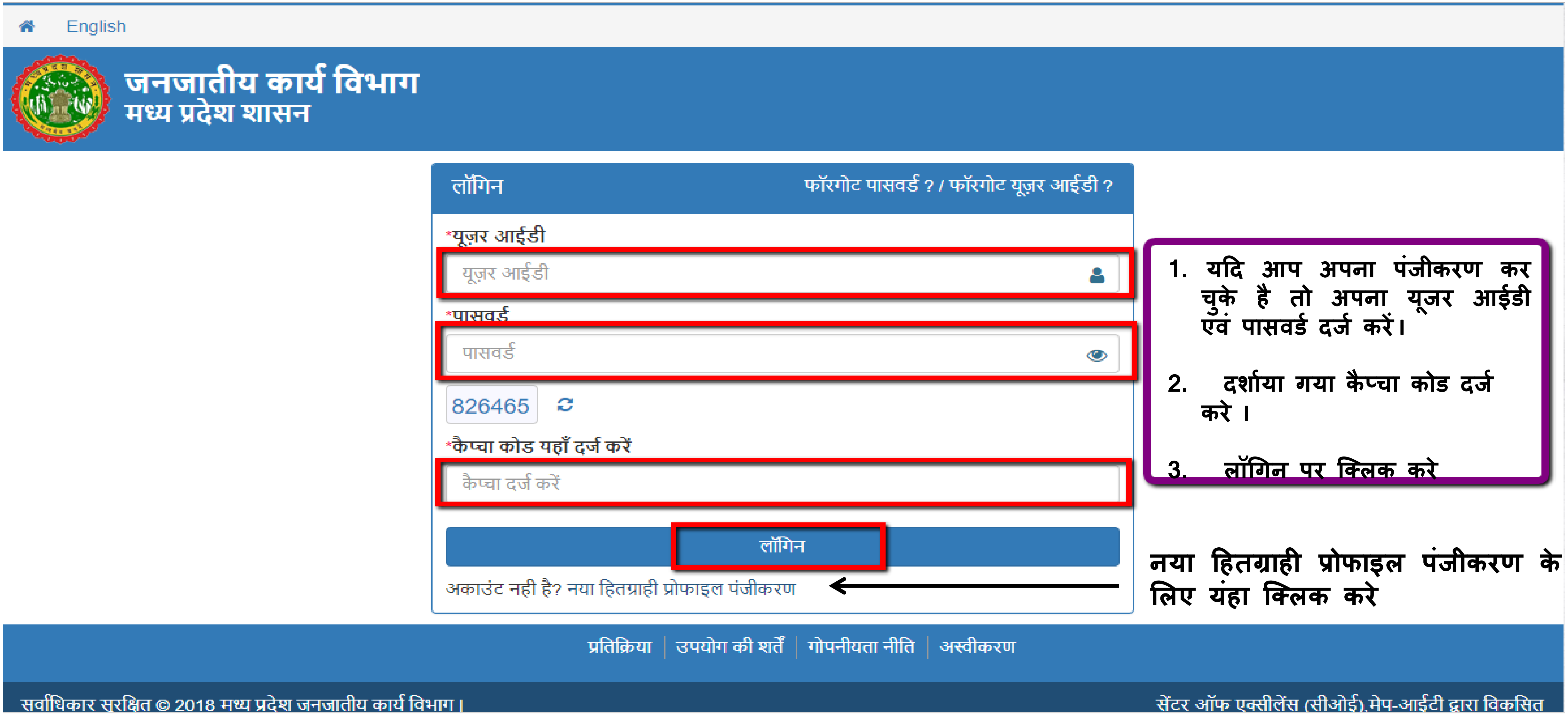

1. **यदि आप अपना पंजीकरण कर चुके है तो अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करें।**
2. **दर्शाया गया कैप्चा कोड दर्ज करे ।**
3. **लॉगिन पर क्लिक करे**

नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के लिए यंहा क्लिक करे

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-1: व्यक्तिगत विवरण

- पंजीकरण लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जायेगा जिसमे 6 टैब्स होंगे | जब तक आप पहले पेज की जानकारी भरकर सबमिट नहीं करते, दूसरे पेज पर नहीं जा सकेंगे |
- पहले पेज की जानकारी भरने के पहले सर्वप्रथम हितग्राही को आधार ईकेवाईसी करना है |

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-1: व्यक्तिगत विवरण

- यदि ई-केवाईसी विकल्प ओटीपी का चयन किया है तो ओटीपी आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा, जिसे ओटीपी बॉक्स में डाल कर सत्यापित करे, यदि कुछ समय अन्तराल में ओटीपी नहीं आता है ओटीपी पुनः भेजे बटन पर क्लिक किया जा सकता है ।

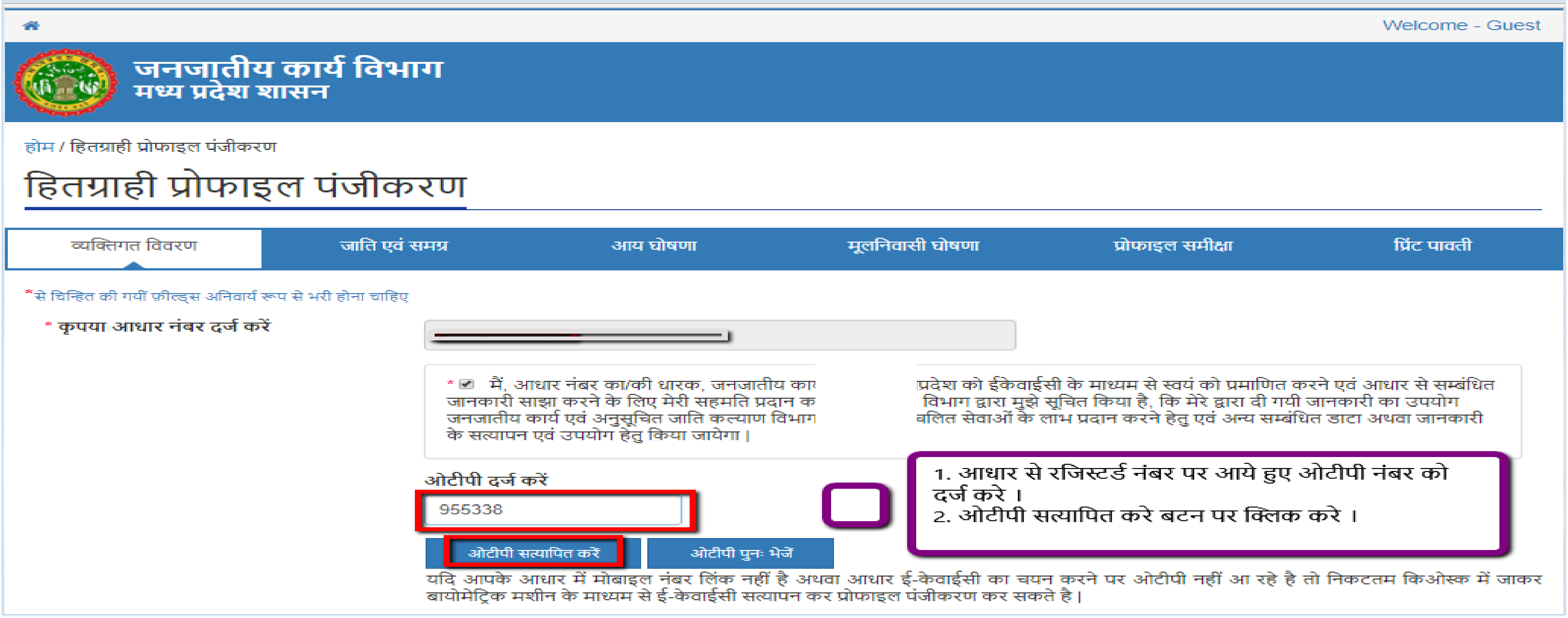

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-1: व्यक्तिगत विवरण

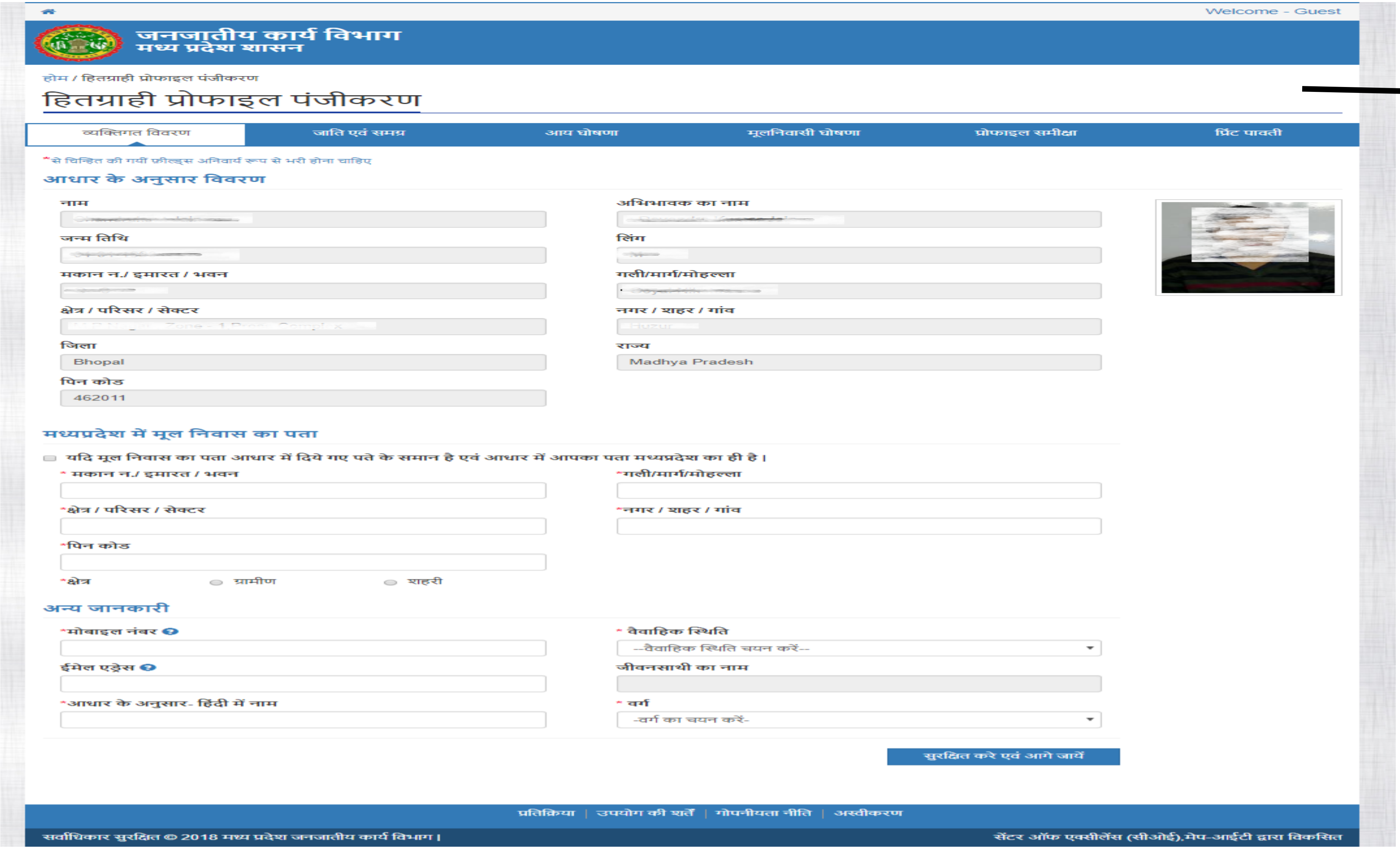

- यदि ओटीपी सत्यापित हो जाता है तो आधार संबंधित समस्त जानकारी आधार के अनुसार विवरण में स्वत: भर जाएगी।

- शेष अन्य जानकारी जैसे मध्यप्रदेश में मूल निवास का पता, अन्य जानकारी एवं विवरण इत्यादि प्रदाय किया जाना है।

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-1: व्यक्तिगत विवरण

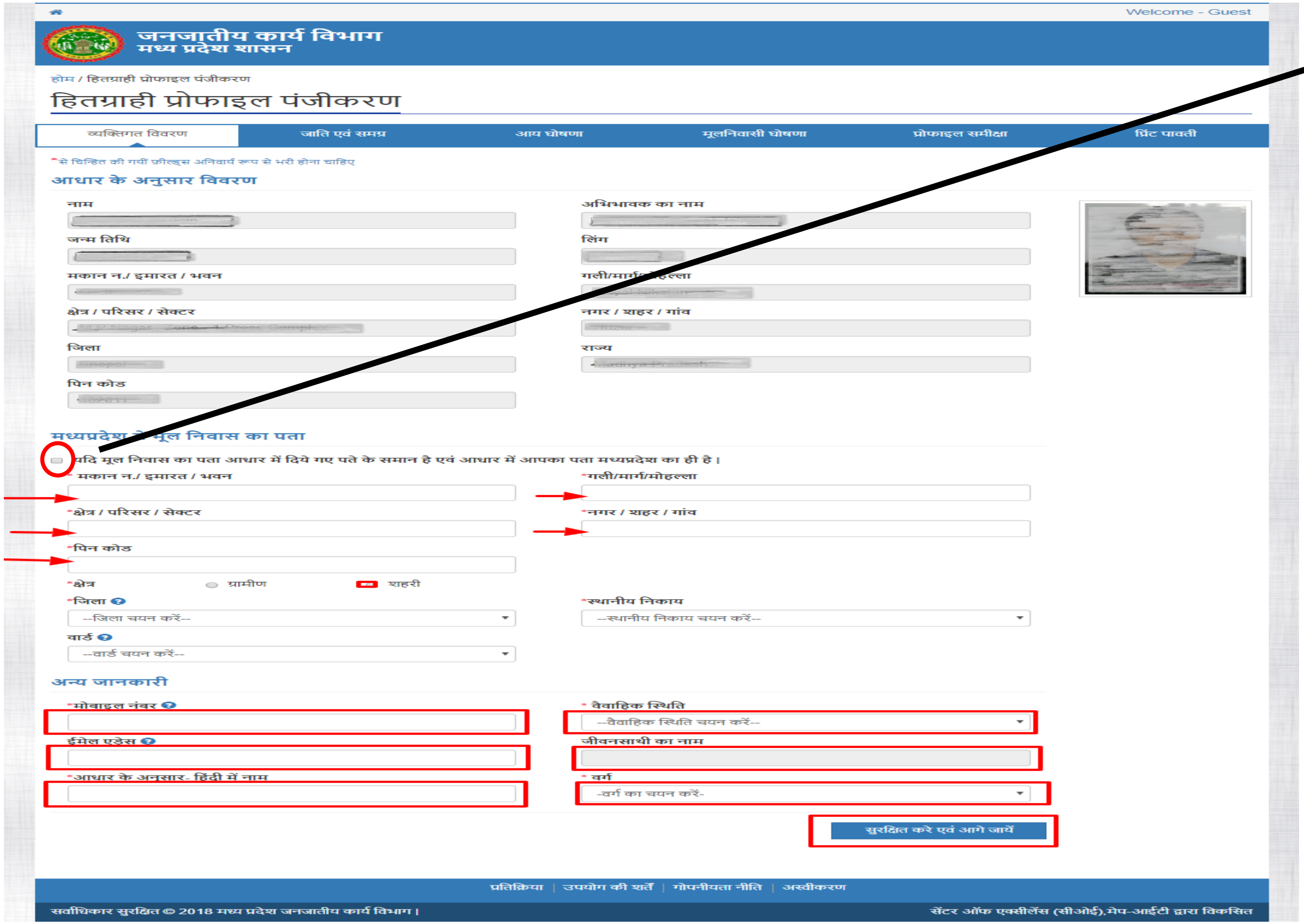

- यदि मूल निवास का पता आधार में दिए गए पते के सामान है एवं आधार में आपका पता मध्यप्रदेश का ही है , तो दिये गए विकल्प का चयन करे जिससे आधार के अनुसार मूल निवास का पता हेतु जानकारी स्वत: भर जाएगी |

- अंत में अपने क्षेत्र का चयन कर क्षेत्र सम्बंधित जानकारी दे और अन्य जानकारी भरे, अब आप सुरक्षित करे एवं आगे बड़े बटन पर क्लिक कर अगले पृष्ठ पर जायेंगे |

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-1: व्यक्तिगत विवरण

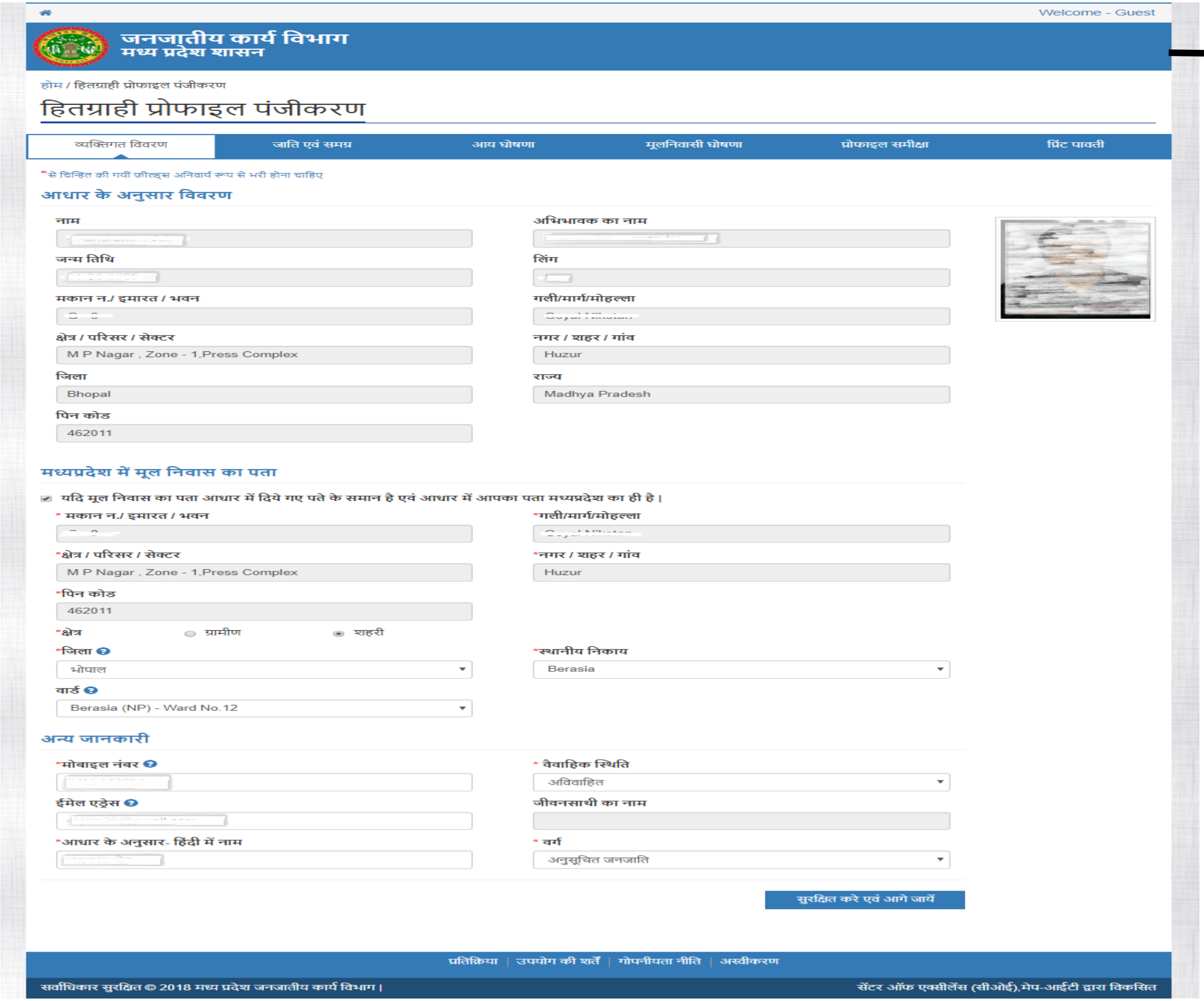

- व्यक्तिगत विवरण पेज की समस्त जरुरी जानकारी भरने के बाद आपको पहला पेज कुछ इस तरह दिखेगा ।
- समस्त जानकारी भरने के बाद सुरक्षित करे एवं आगे बड़े बटन पर क्लिक करे ।
- यदि कोई जानकारी अपूर्ण रह जाती है तो सिस्टम आपको अपूर्ण जानकारी का सन्देश देगा, और जब तक आप पहले पेज की सभी जानकारी भरकर सबमिट नहीं करते, दूसरे पेज पर नहीं जा सकेंगे ।

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-2: जाति एवं समग्र पेज

- इस पृष्ठ पर हितग्राही का जाति सम्बंधित विवरण प्रदान करना है ।
- पृष्ठ पर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की नमूना प्रति भी उपलब्ध कराई गयी है ।
- दिये गए विकल्प अनुसार जाति प्रमाण पत्र सम्बंधित जानकारी प्रदान करे ।

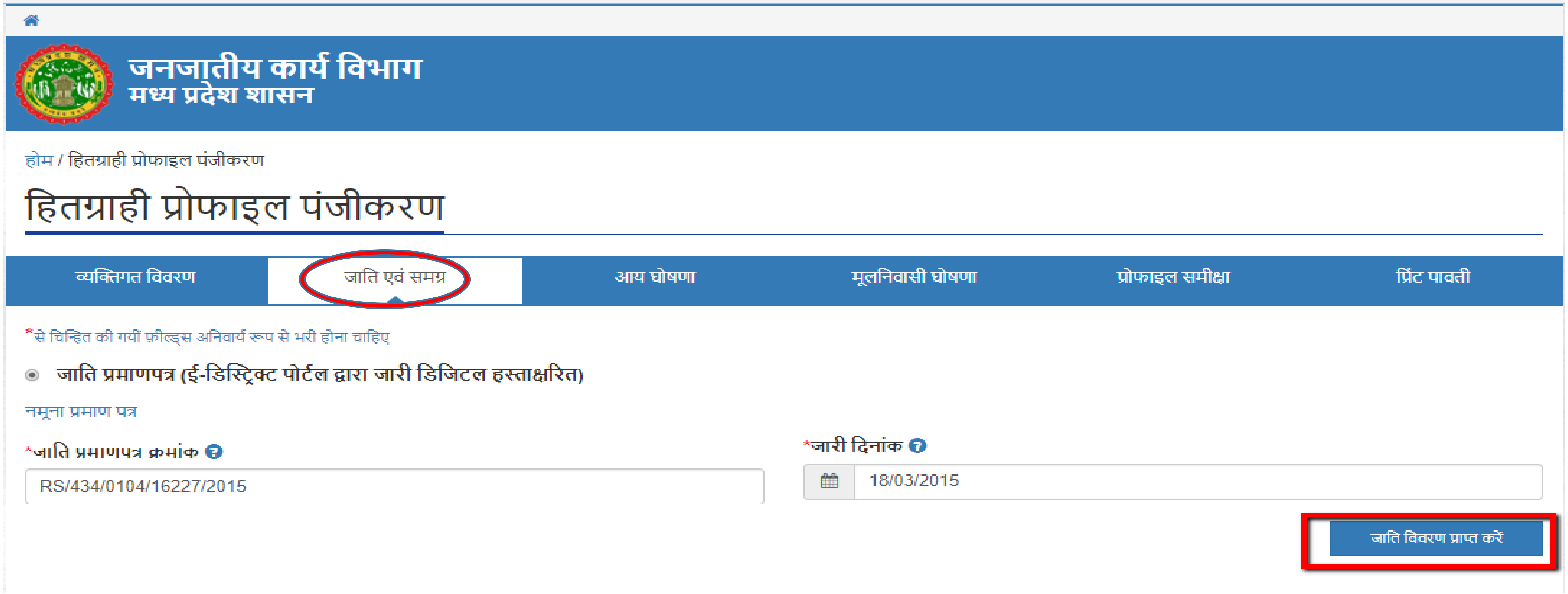

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-2: जाति एवं समग्र पेज

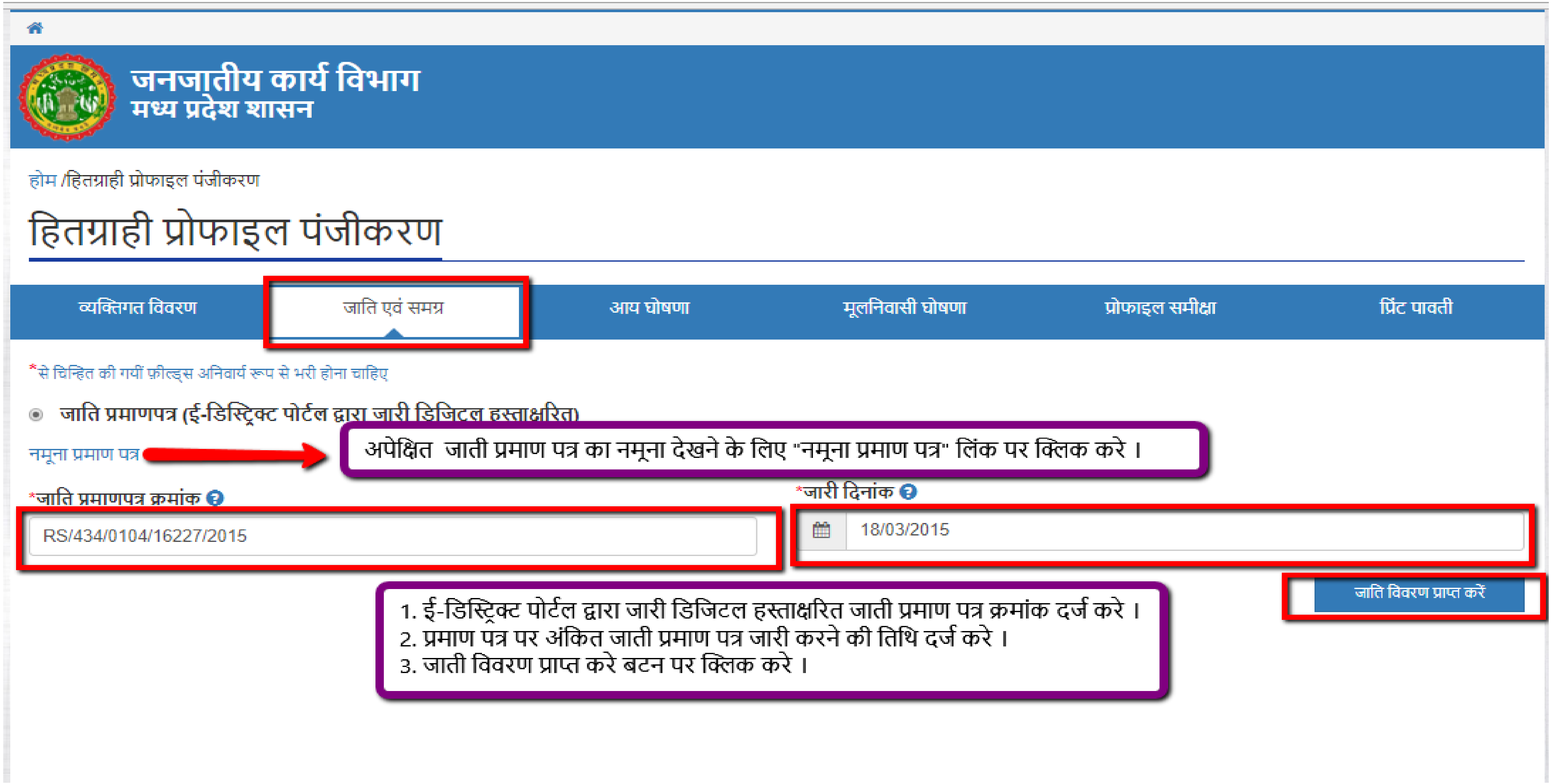

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-2: जाति एवं समग्र पेज

- यदि दर्ज किये गए डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र से प्राप्त जानकारी का मिलान हितग्राही के आधार की जानकारी से होता है तो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की जानकारी स्वत: भर जाएगी |
- यदि जाति प्रमाण की जानकारी का मिलान आधार की जानकारी से नहीं होता है तो कृपया अपने आधार में जानकरी सही करायें|

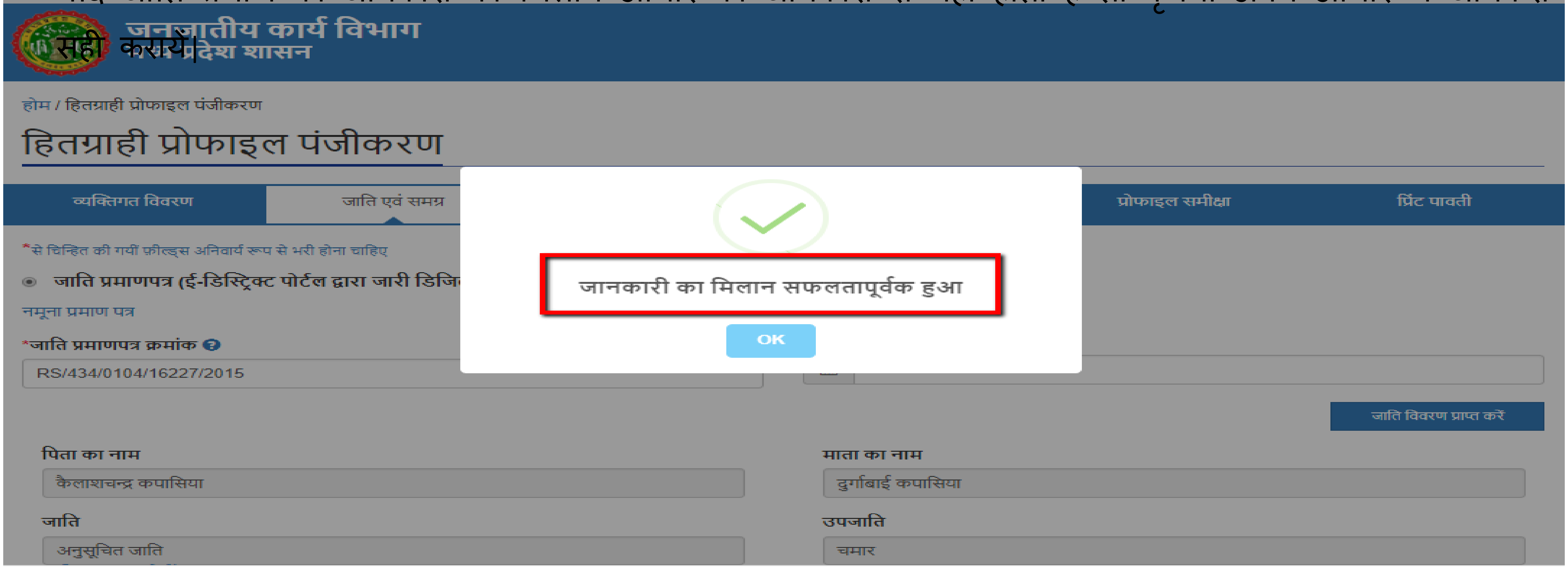

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-2: जाति एवं समग्र पेज

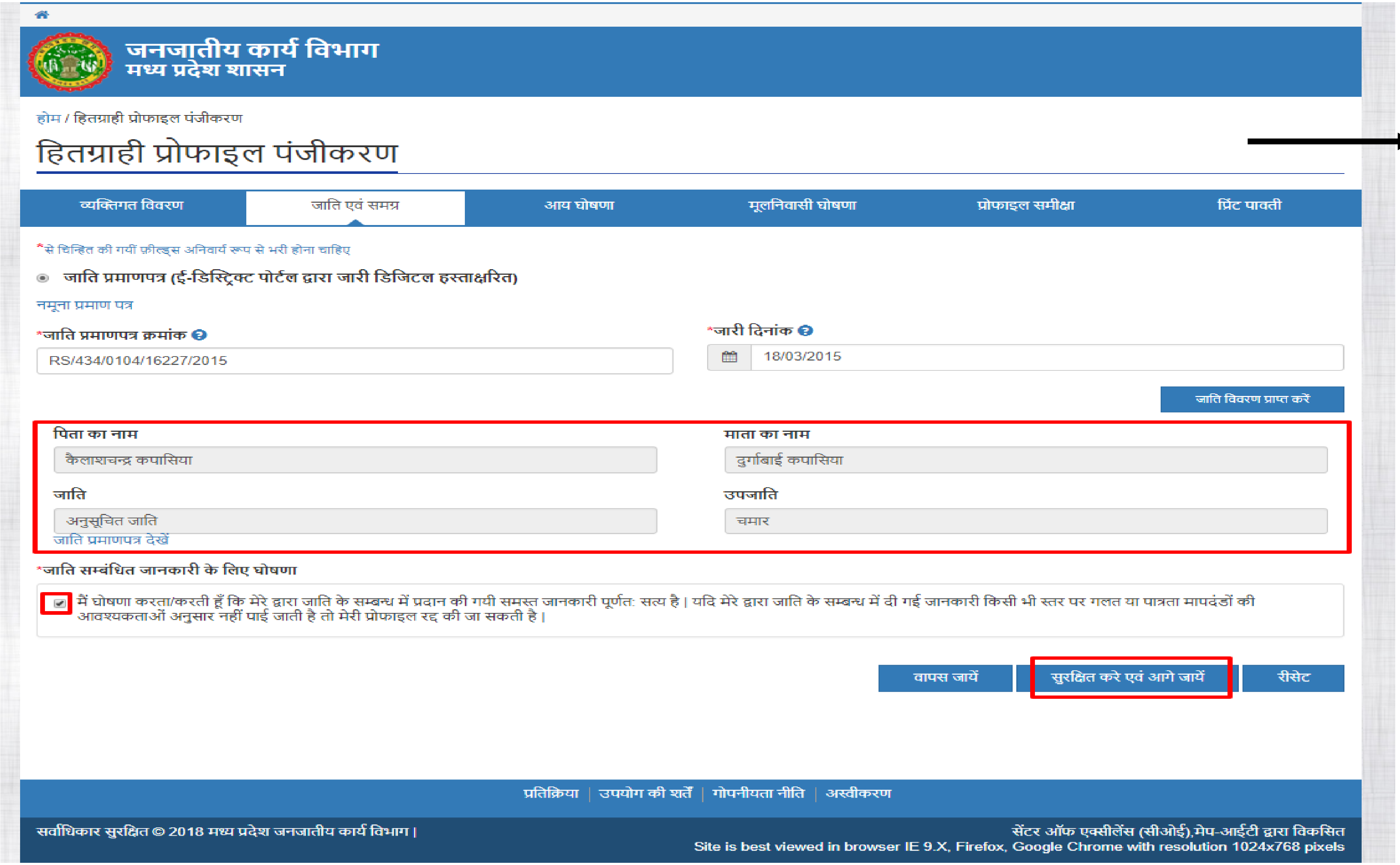

- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा जारी डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र से प्राप्त जानकारी जांचे और यदि जानकारी सही है तो जाती संबंधित घोषणा चेक कर स्वीकृति प्रदान करे।
- अंत में सुरक्षित करे एवं आगे बड़े बटन पर क्लिक कर अगले पृष्ठ पर जायेंगे |

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-2: जाति एवं समग्र पेज

- इस पृष्ठ पर हितग्राही की समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी की प्रविष्टि की जाना है।
- यदि दर्ज किये गयी समग्र आईडी और परिवार आईडी की जानकारी का मिलान सफलतापूर्वक होता है तो समग्र से प्राप्त हितग्राही की जानकारी स्वत: ही भर जाएगी, जैसे अगले पेज पर दिखाया गया है।

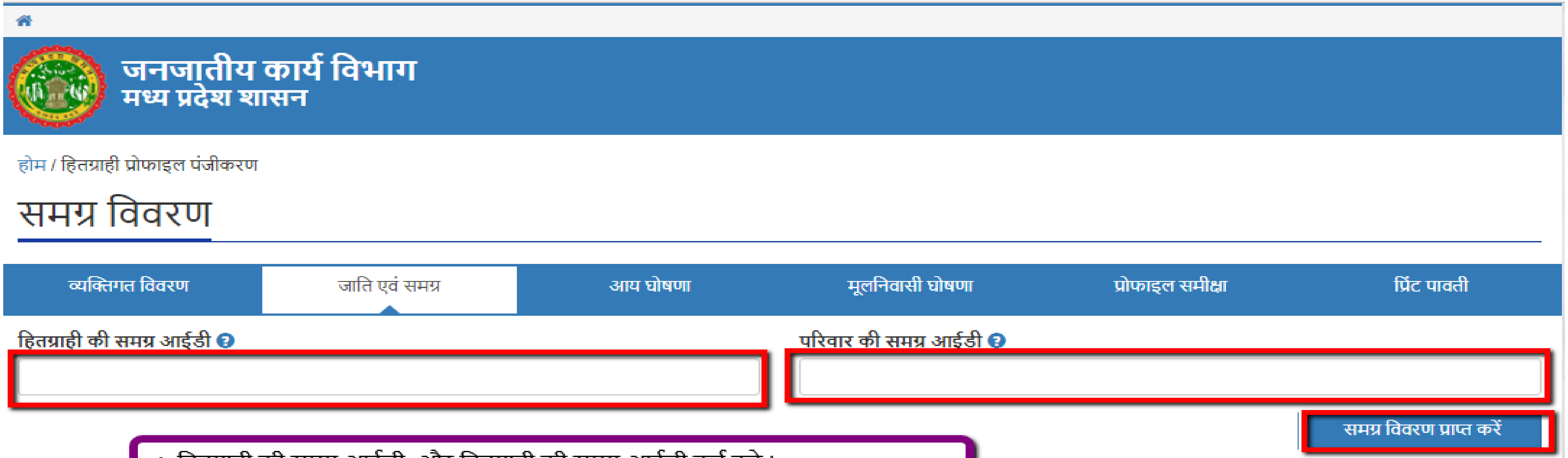

1. हितग्राही की समग्र आईडी और हितग्राही की समग्र आईडी दर्ज करे |
2. समग्र विबरण प्राप्त करे बटन पैर क्लिक करे ।

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-2: जाति एवं समग्र पेज

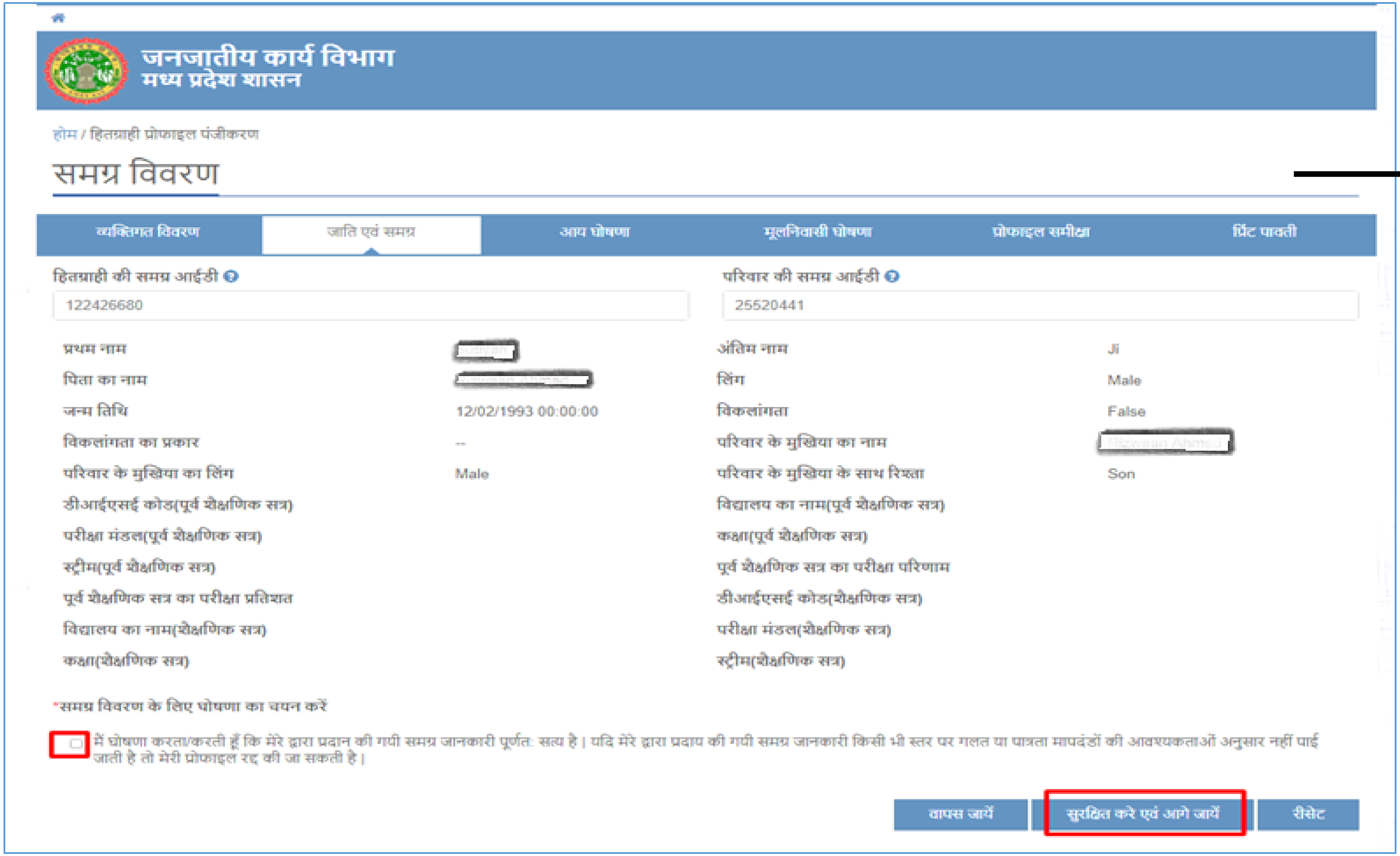

- समग्र पोर्टल द्वारा प्राप्त जानकारी जांचे और यदि जानकारी सही है तो संबंधित घोषणा करे और स्वीकृति प्रदान करे।
- अंत में सुरक्षित करे एवं आगे बड़े बटन पर क्लिक कर अगले पृष्ठ पर जायेंगे |

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-3: आय घोषणा पत्र

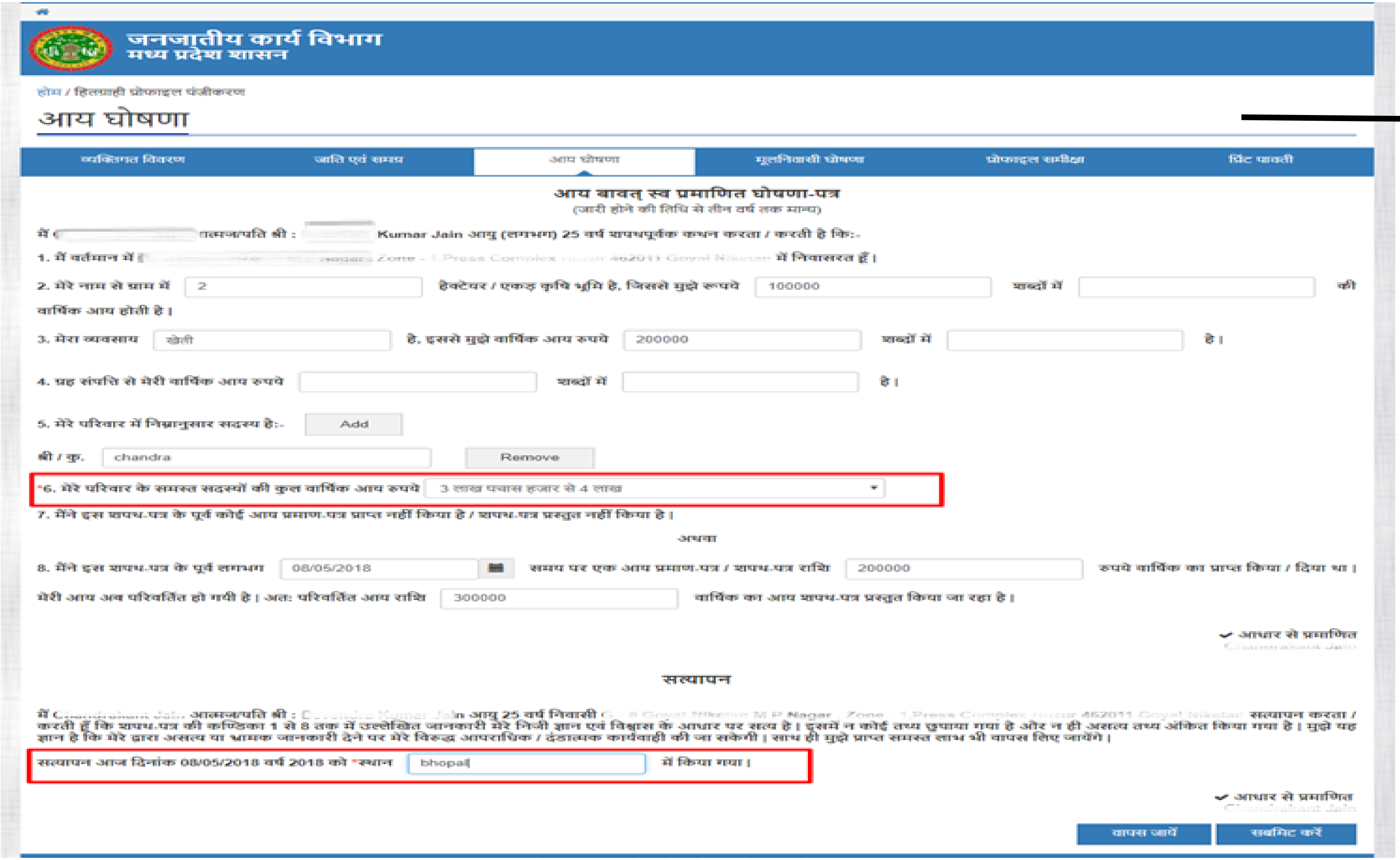

- इस पृष्ठ पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय बावत् घोषणा किया जाना होगा ।
- जिसके लिए उपलब्ध एवं जो विवरण लागू हो उसकी जानकारी की प्रविष्टि करे।

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-3: आय घोषणा पत्र

जनजातीय कार्य विभाग
मध्य प्रदेश शासन

होम / हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण

आय घोषणा

व्यक्तिगत विवरण | जाति एवं समग्र | आय घोषणा | मूलनिवासी घोषणा | प्रोफाइल समीक्षा | प्रिंट पावती

प्रिंट | एक्सपोर्ट पीडीएफ

आय बावत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र
(जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक मान्य)

मैं Chandrakant Jain आत्मज/पति श्री : Devendra Kumar Jain आयु (लगभग) 25 वर्ष शपथपूर्वक कथन करता / करती है कि:-

1. मैं वर्तमान में G - 8 Goyal Niketan M P Nagar , Zone - 1,Press Complex Huzur 462011 Goyal Niketan में निवासरत हूँ।

2. मेरे नाम से ग्राम में 2 हेक्टेयर / एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रूपये 100000 शब्दों में .... की वार्षिक आय होती है।

3. मेरा व्यवसाय खेती है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये 200000 शब्दों में .... है।

4. ग्रह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये .... शब्दों में .... है।

5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य है:- 1.chandra

6. मेरे परिवार के समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये 3 लाख पचास हजार से 4 लाख

7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है / शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग 08/05/2018 समय पर एक आय प्रमाण-पत्र / शपथ-पत्र राशि 200000 रुपये वार्षिक का प्राप्त किया / दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गयी है। अत: परिवर्तित आय राशि 300000 वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

✓ आधार से प्रमाणित
Chandrakant Jain

सत्यापन

मैं Chandrakant Jain आत्मज/पति श्री : Devendra Kumar Jain आयु 25 वर्ष निवासी G - 8 Goyal Niketan M P Nagar , Zone - 1,Press Complex Huzur 462011 Goyal Niketan सत्यापन करता / करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक / दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिए जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक 08/05/2018 वर्ष 2018 को स्थान bhopal में किया गया।

✓ आधार से प्रमाणित
Chandrakant Jain

वापस जायें | संशोधित करें | सुरक्षित करे एवं आगे जायें

- आय बावत् स्व घोषणा करने के पश्चात भरा हुआ प्रारूप प्रदर्शित होगा । यदि आवश्यक हो तो प्रिंट भी लिया जा सकता है ।

- अंत में सुरक्षित करे एवं आगे बड़े (सबमिट) बटन पर क्लिक कर अगले पृष्ठ पर जायेंगे ।

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-4: मूल निवासी घोषणा पत्र

- इस पृष्ठ पर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में मूल निवासी बावत् घोषणा किया जाना होगा जिसके लिए उपलब्ध एवं जो विवरण लागू हो उसकी जानकारी की प्रविष्टि करे ।

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-4: मूल निवासी घोषणा पत्र

- मूल निवासी बावत् स्व घोषणा करने के पश्चात भरा हुआ प्रारूप प्रदर्शित होगा । यदि आवश्यक हो तो प्रिंट भी लिया जा सकता है ।

- अंत में सुरक्षित करे एवं आगे बड़े (सबमिट) बटन पर क्लिक कर अगले पृष्ठ पर जायेंगे

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण पेज-5: प्रोफाइल समीक्षा पेज :

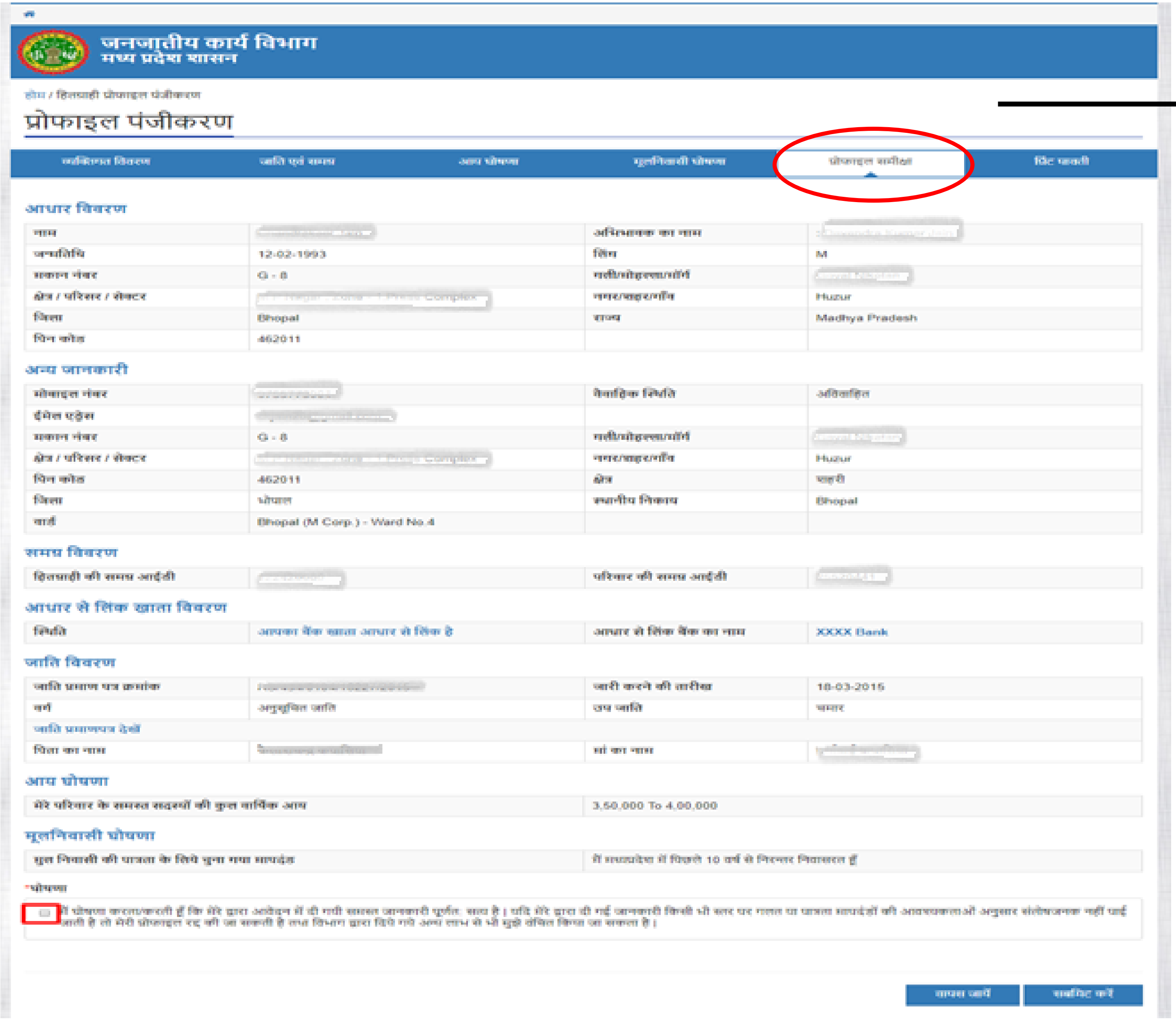

- समस्त जानकारी प्रदान करने के बाद प्रदान की गयी जानकारी की समीक्षा हितग्राही द्वारा की जा सकती है। यदि कोई जानकारी गलत है तो वापस जाकर जानकारी को संशोधित किया जा सकता है

- जानकारी सही होने की स्थिति में अंत में घोषणा पर सहमति हेतु चेक बॉक्स पर क्लिक करना है।

- इसके पश्चात अपनी सुविधा एवं पसंद अनुसार लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड का प्रदान करना है ।

- यदि कीओस्क और एडमिन के द्वारा हितग्राही का प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है तो लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड हितग्राही को ईमेल और SMS के माध्यम से प्राप्त होगी जिसका उपयोग हितग्राही पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए कर सकता है ।

- समस्त जानकारी प्रदान करने के पश्चात

प्रिंट प्रोफाइल पंजीकरण अभिस्वीकृति / पावती :

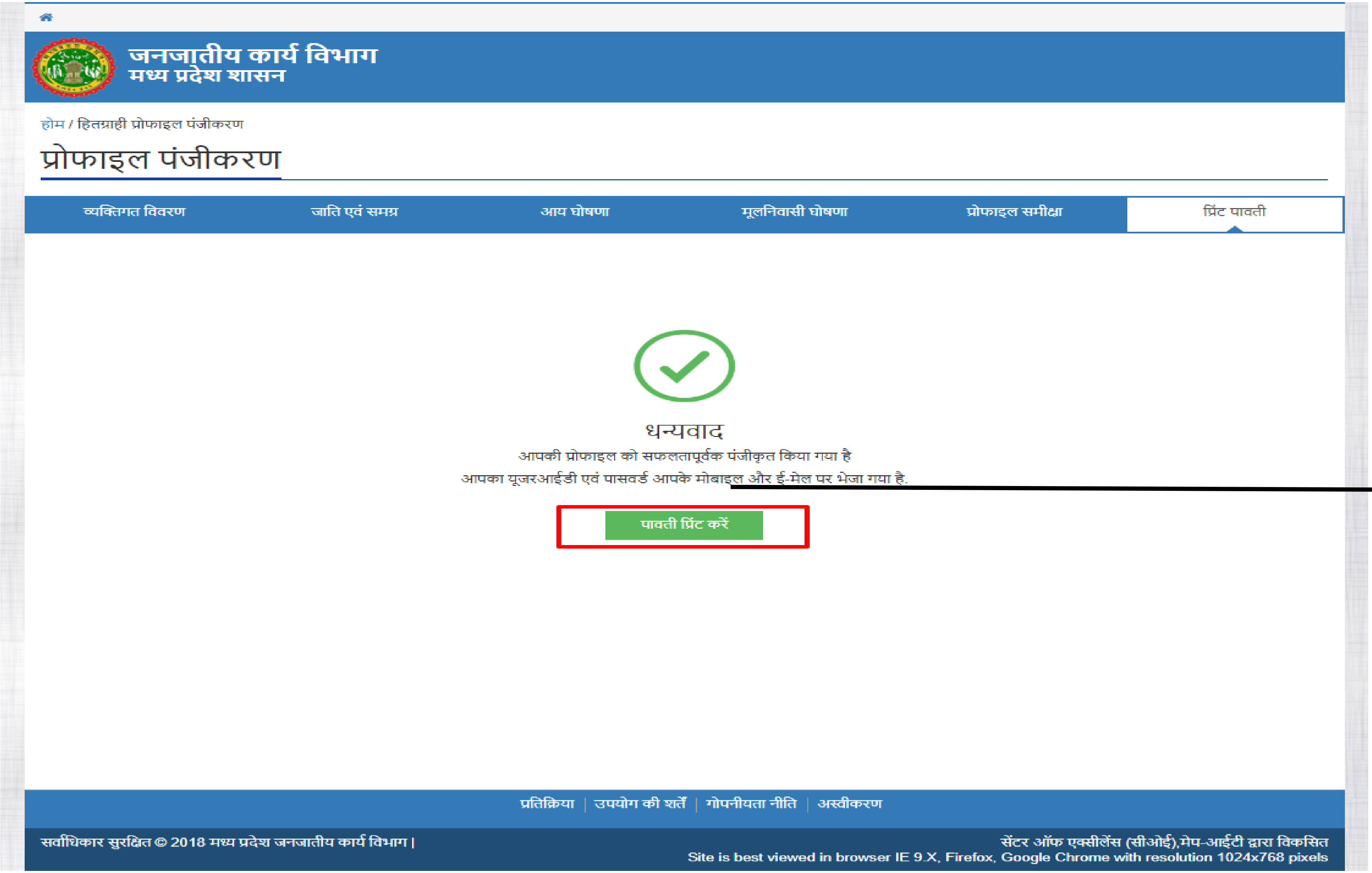

- अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद प्रोफाइल पंजीकरण की अभिस्वीकृति / पावती को प्रिंट किया जा सकता है।
- **प्रोफाइल आईडी, यूजर आईडी एवं पासवर्ड ईमेल एवं SMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।**

हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण अभिस्वीकृति / पावती :

जनजातीय कार्य विभाग
मध्य प्रदेश शासन

प्रोफाइल पंजीकरण पावती

व्यक्तिगत विवरण			
यूजर आईडी	ChM4132D	पासवर्ड	XXXXXX
पंजीयन क्रमांक	PR1000000027	पंजीकरण की दिनांक	08/05/2018
आधार नंबर	********7759	नाम	[redacted]
पिता / पति का नाम	: Devendra Kumar Jain	जन्मतिथि	******1993
लिंग	M	मोबाइल नंबर	******3001
जिला	भोपाल	ईमेल एड्रेस	[redacted]
जाति विवरण			
वर्ग	अनुसूचित जाति	उप जाति	चमार
समग्र विवरण			
परिवार की समग्र आईडी	[redacted]	हितग्राही की समग्र आईडी	[redacted]
आधार लिंक्ड बैंक स्थिति			
आधार लिंक्ड बैंक स्थिति	**आपका बैंक खाता आधार से लिंक है**		
आय घोषणा	मेरे परिवार के समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय	3,50,000 To 4,00,000	
मूलनिवासी घोषणा	मुल निवासी की पात्रता के लिये चुना गया मापदंड	मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हूँ	

सामान्य निर्देश

1. यह अभिस्वीकृति कंप्यूटर द्वारा स्वत: प्रदान की गयी है अत: किसी प्रकार के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा प्रदान जानकारी के सत्यापन के अधीन प्रोफाइल का पंजीकरण किया गया है।
2. यदि प्रोफाइल पंजीकरण के दौरान आपको आधार में दर्ज विवरण सही नहीं मिला है तो अपने आधार में अपना विवरण अद्यतन करायें। कृपया अपना वर्तमान मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक करायें।
3. कृपया आधार में अपनी जन्मतिथि DD/MM/YYYY प्रकार में अद्यतन करायें। उदाहरणार्थ 19/04/1983.
4. कृपया प्रोफाइल पंजीकरण/अद्यतन में अपना वर्तमान एवं वैध नंबर प्रदान करे। विभाग द्वारा समय-समय पर सूचनाएं आपके द्वारा प्रदान किये मोबाइल नंबर पर ही भेजी जायेंगी।
5. आपको सलाह दी जाती है कि आप मैन्युअल रूप से जारी किए गए जाति प्रमाणपत्र को एमपीईडिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाणपत्र में परिवर्तित करायें जिससे कि आपकी जाति एवं उपजाति का सिस्टम में स्वत: प्रमाणीकरण और सत्यापन कराया जा सके।
6. यदि प्रोफाइल पंजीकरण के समय आपने अपनी समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी प्रदान नहीं की थी तो कृपया लॉग इन कर प्रोफाइल अपडेट विकल्प में जाकर समग्र सम्बंधित जानकारी अद्यतन करें।
7. कृपया अपना वर्तमान बैंक खाता अपने आधार से लिंक करायें। यदि किसी योजना के अंतर्गत आपको विभाग द्वारा कोई भुगतान किया जाना है तो भुगतान की राशि आपके आधार से लिंक बैंक खाते में ही जमा की जाएगी।
8. यदि आप आधार में कोई जानकारी अद्यतन कराते है तो पृथक रूप से जानकारी आपको पोर्टल पर लॉगिन कर आपकी प्रोफाइल में प्रोफाइल अपडेट विकल्प में जाकर ईकेवाईसी के माध्यम से करनी होगी।
9. पंजीकृत प्रोफाइल का प्रतिवर्ष नवीनीकरण बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से अनिवार्य रूप से करना होगा।

धन्यवाद